राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 327, 328, 329 एवं 330/2017 .....जिला.....जयपुर.....

मैसर्स ग्रेविटा इण्डिया लि0, तिलक नगर जयपुर बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वा.क. जयपुर 2. सहायक आयुक्त प्रतिकरापवंचन, वृत प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यबाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/3/2017	**खण्डपीठ** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री विवेक सिंघल एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "**अपीलीय अधिकारी**" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2017 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18, 25, 55 एवं 61 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया हैं, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। चारों अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्रों के अधिनियम की धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।	

अपील सं.	अवधि	अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित शास्ति राशि	राशि जिस हेतु स्थगन चाहा गया
1	2	3	4	5
327/17	11–12	21,35,676	12,06,474	9,29,202
328/17	12–13	45,28,000	25,72,538	18,26,835
329/17	15–16	1,16,91,720	70,85,602	46,06,118
330/17	16–17	54,89,383	34,52,334	20,37,049

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.02.2017 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कीं गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह चारों अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी हैं।

चारों प्रकरणों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय कि प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक से रखी जा रही है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्रों को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई कारण अंकित नहीं किया है। उन्होंने कथन किया कि DEPB का उपयोग आयातित माल पर देय कस्टम ड्यूटी के विरूद्ध किया गया है अतः वह उसके कच्चे माल में अन्तर्वलित (Imbeded) होने से आगत कर योग्य है एवं सेनवेट में आगत कर की व्यवस्था है अतः आगत कर अस्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी ने अविधिक आदेश पारित किया है। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशियों (उपरोक्त तालिकानुसार कॉलम संख्या 5) की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी ।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 327, 328, 329 एवं 330/2017 .....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/3/2017	विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 36 के अंतर्गत जारी विनिश्चय दिनांक 15.09.2015 का अध्ययन किया गया। इस विनिश्चिय में अभिनिर्धारित किया गया है कि "भारत सरकार के बाहर से आयातित माल पर कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने के लिये काम में आयी Duty credit scrip पर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 18(1)(a to g) के तहत आगत कर (Input Tax Credit) का लाभ देय नहीं होगा।" इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी उक्त DEPB का उपयोग आयातित माल पर देय डयूटी के विरूद्ध भुगतान के रूप में किया गया है, जो धारा 18(1) के प्रावधानों के तहत नहीं आने से आगत कर योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलों के गुणावगुण पर विचार किये बिना अस्वीकार किये जाते हैं। चारों अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। 14.3.2017 (मदन लाल) सदस्य (खेमराज) अध्यक्ष	